पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0 पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 19/2024

अनवान :

अशोक कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
2. राजेश पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
3. कमलेश पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. सन्तरो पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोबिन की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बुढेर के खाता सं0 51/85 के ख0सं0 135 की 12.962 है0, ख0सं0 167 की 2.580 है0, ख0सं0 176/2 की 13.544 है0, ख0सं0 187/2 की 9.320 है0 कुल खसरा 4 की कुल 38.4060 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह के नाम 9601/38406 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह अकेले की बजाय वादी अशोक कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजेश को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 3 तथा 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 तथा 2 के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.07.24 को [illegible]क्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.05 13:09:52 IST
Reason: SelfAttested

30-07-24

(ओम प्रकाश चन्देलिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner